उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांक: 797–E/Policy/Allowances
दिनांक : 16/10/2017

RBE No.111/2017
NCR PS No.5161/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub:- Implementation of the recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government-Special Allowance to Chief Safety Officers/Safety Officers

The copy of Railway Board's letter No E(P&A)I-2017/SP-1/WS-2 dated 30.08.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action please.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

16.X.17
(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

RBL-2017-1797
8-9-17

पीसी-VII सं. 49
आरबीई सं. 111 /2017

सं.ई(पी एंड ए)I-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-2

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन - मुख्य संरक्षा अधिकारियों/संरक्षा अधिकारियों के लिए विशेष भत्ता।

*****

भत्तों के संशोधन के संबंध में सातवें केंद्रीय आयोग की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि, वर्कशाप कैडर के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों (चाहे वे वर्कशाप अथवा पीसीओ में कार्य कर रहे हों) को जब मुख्य संरक्षा अधिकारी/संरक्षा अधिकारियों के रूप में प्रतिनियुक्त पर तैनात किया जाता है तो उन्हें मूल वेतन के 6 प्रतिशत की दर पर विशेष भत्ता दिया जाए।

2. इस भत्ते की संशोधित दर 1 जुलाई, 2017 से स्वीकार्य होगी।

3. बोर्ड के दिनांक 04.07.2008 के पत्र सं. ई(पी एंड ए)I-2008/एसपी-1/डब्ल्यूएस-1 में दी गई अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

5. कृपया पावती दें।

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
06 SEP 2017
महाप्रबन्धक सचिव

अनिल कुमार
(अनिल कुमार)
उप निदेशक/ई(पी एंड ए)-I
रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एवं ए)I-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-2

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं.ई(पी एवं ए)I-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-2

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं.253, रेल भवन, नई दिल्ली। (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

CPO/A
DY. CPO/G.Z
DY. CPO/IR
DY. CPO/HQ
CHAIRMAN/RRC
SPO/HQ
SPO/IR
APO/IR

64/

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

PC-VII No. 49
RBE No. 111/2017

No. E(P&A)I-2017/SP-1/WS-2 New Delhi, dated 30.08.2017.

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.
NCR, Allahabad

Sub: Implementation of recommendations of Seventh Central Pay Commission accepted by the Government – Special Allowance to Chief Safety Officers/Safety Officers.

*****

Consequent upon the decisions taken by the government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to revision of allowances, the President is pleased to decide that Senior Supervisors of workshop cadre (whether working in workshops or PCO) when deputed as Chief Safety Officers/Safety Officers may be granted Special Allowance @ 6 percent of Basic Pay.

2. The revised rate of allowance shall be admissible with effect from the 1st July, 2017.

3. All other terms and conditions envisaged in Board's letter No. E(P&A)I-2008/SP-1/WS-1 dated 04.07.2008 shall remain unchanged.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Please acknowledge receipt.

(Anil Kumar)
Dy. Director/E(P&A)-I
Railway Board.

No. E(P&A)I-2017/SP-1/WS-2 New Delhi, dated 30.08.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

No. E(P&A)I-2017/SP-1/WS-2 New Delhi, dated 30.08.2017

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.(with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.(with 5 spares).